27/7/2017 पत्रावली पेश हुई। गैर सामान्य भाव पूर्व अवलोकन गैर हाजिर। पत्रावली का अवलोकन किया सैसेस के विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मेड़ास ने मौजा लाडवा के ख०नं० 612 रकबा 80 बीघा भूमि मोतीलाल पुत्र भंवरलाल जाति सार निवासी लाडवा के विरुद्ध सम्वत 2074 में कोटो व रकबा ~~[illegible]~~ शेष अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में सी.सी. रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर इस न्यायालय ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत राजस्व प्रकरण दर्ज कर गैर काश्तकार को LR Act 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया गैर काश्तकार उपस्थित हुआ पक्ष सुना गया। गैर काश्तकार ने राजकीय भूमि जो ग्राम पंचायत पर अतिक्रमण करने से अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजकीय भूमि जो ग्राम पंचायत पर किये अतिक्रमण को अतिरिक्त जप्त से बेदखल करने एवं आरापी के खिलाफ पश्चात शुरू दण्डिक कार्यवाही 2/1(बी) कार्यवाही ~~कार्यवाही~~ कार्यवाही। पटवारी हल्का मेड़ास को भी विपक्ष बेदखली एवं शुरूआत आरापी की बेदखली हेतु ~~[illegible]~~ पंचायत सुरक्षा मौका कार्यवाही हेतु पीठासीन अधिकारी को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर ~~[illegible]~~ से कल से निर्णय आज दिनांक 27/7/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार, [illegible]
(बाड़मेर - राजस्थान)